कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक की परिवेदना निस्तारण व स्थानान्तरण उपरान्त उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापन किया जाता है:–

S. No.	Emp Code	Emp Name	Post	Present Posting Place		New Posting Place		Remarks
				Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RJBW2023 08012522	NAMAN GODHA	Basic Computer Instructor	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAGUNAGAR (222595)	BHILWARA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LAWAN DAUSA (218049)	DAUSA	

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तो के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावें :–

1 उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परिवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

2 राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

3 TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में एवं NTSP से TSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

4 **उपर्युक्त सभी कार्मिकों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण काल/अवकाश का उपयोग किये बिना तुरन्त प्रभाव से नवीन पदस्थापन स्थान पर शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त आदेश की पालना के अभाव में सम्बन्धित अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

5 स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है। स्वेच्छा से स्थानान्तरण हुए कार्मिक से कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना है कि मेरा स्थानान्तरण स्वेच्छा से हुआ है एवं मैं इस हेतु नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता की मांग नहीं करूंगा।

6 स्थानान्तरित कार्मिक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वैच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ–पत्र लिया जाकर ही वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र–6 जारी कर) की कार्यवाही की जावें।

7 नवीन स्थानान्तरित जिले में स्थानान्तरित कार्मिक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का जिला परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम–36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन जिला में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

8 माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।

9 स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

10 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में चयनित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि अन्यत्र जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में होता है, तो उक्त कार्मिक की वरिष्ठता का संधारण कार्मिक के मूल पदस्थापन जिले में ही किया जायेगा।

11 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम–144 "क" के तहत प्रतिनियुक्ति/साक्षात्कार/महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति समाप्ति/प्रत्यावर्तन किया जाकर किया गया है। अतः कार्मिक का स्थानान्तरण मूल पदस्थापन जिले से अन्यत्र जिले में होने पर कार्मिक के मूल पदस्थापन जिले से वरिष्ठता का विलोपन किया जाकर स्थानान्तरित जिले में राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम–36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन जिले में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

12 सूची में यदि ऐसे कार्मिक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति हो चुकी है, उनके संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। उक्त कार्मिकों के संबंध में अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करवाएं।

(ललित कुमार) 19/8

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/स्थानान्तरण/2026/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक दिनांकः– यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत)एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान,जयपुर।
3 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर।
4 निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पालनार्थ।
8 सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ।
9 संबन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
10 रक्षित पत्रावली।

19.8.26
निदेशक